पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 के आपराधिक विविध संख्या– 24154

थाना कांड संख्या- 173, वर्ष- 2013, थाना- छापरा मुफ्फसिल, जिला-सारण

==========

राम बिलास राय, पिता- छठी राय, निवासी गाँव- संधा, थाना- छपरा मुफसिल, जिला सारण

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य .....विपरीत पक्ष/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए : श्री जितेंद्र कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री बी. एन. पांडेय, ए.पी.पी.

न्यायमित्र : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

==========

याचिका- उस आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) ने याचिकाकर्ता के जमानत बांड को बहाल करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। यह जमानत बांड न्यायालय में याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के कारण रद्द कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसमें उसे अग्रिम जमानत दी गई थी, लेकिन एक अतिरिक्त शर्त लगाई गई थी कि: "याचिकाकर्ता को कम से कम दो वर्षों तक या मामले के निपटारे तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक तारीख पर भौतिक रूप से (Physically) निचली अदालत में उपस्थित रहना होगा। यदि वह लगातार दो तारीखों पर बिना उचित स्पष्टीकरण के अनुपस्थित रहता है, तो उसे दी गई जमानत स्वतः निरस्त मानी जाएगी।"

एक विशेष तारीख पर मामला पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए CJM के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन याचिकाकर्ता CJM न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

निर्णय -

मामला CJM के समक्ष केवल पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध था, क्योंकि जांच अभी जारी थी और याचिकाकर्ता पहले से ही पुलिस जांच में सहयोग कर रहा था। (पैराग्राफ 9)

जब मामला केवल पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए सूचीबद्ध था, तो याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आरोपी को केवल आरोप पत्र (Charge-sheet) दाखिल होने और उसके खिलाफ प्रक्रिया जारी होने के बाद ही न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक होता है, न कि जांच के दौरान। (पैराग्राफ 10)

याचिका स्वीकार की जाती है। (पैराग्राफ 13)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार

मौखिक आदेश

दिनाक:-31-01-2025

वर्तमान याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 23.12.2015 के आदेश के खिलाफ पेश किया गया है, जिसके तहत विद्वान मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, सारण ने छपरा मुफसिल थाना कांड संख्या- 173/2013, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 341, 323, 324, 307, 504 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है, में बंध पत्र को बहाल करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसे अदालत ने न्यायालय में याचिकाकर्ता के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांकित 19.02.2015 के आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया था।

2. वाद की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका को दाखिल किया और उसे अग्रिम जमानत पर उन्मुक्त किया गया, "बशर्ते कि वह कम से कम दो साल तक या मामले के निपटारे तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक तारीख को न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा और बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के लगातार दो तारीखों पर विफल रहने की स्थिति में, याचिकाकर्ता को दी गई स्वतंत्रता को रद्द माना जाएगा।"

3. 19.02.2015 पर मामला पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक न्यायधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन याचिकाकर्ता संबंधित तिथि यानी 19.02.2015 पर विद्वान मुख्य न्यायिक न्यायधीश के सामने पेश नहीं हुआ और इसलिए, उसका बंध पत्र रद्द कर दिया गया और उसके खिलाफ ग़ैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने ग़ैर जमानती वारंट को रद्द करने और नए सिरे से

बंध पत्र दाखिल करने की अनुमति के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि बीमारी के कारण वह संबंधित तिथि यानी 19.02.2015 पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान *वकील,* न्यायमित्र और राज्य के लिए अतिरिक्त अभियोजन पदाधिकारी को सुना।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान मुख्य न्यायिक न्यायधीश, सारण छपरा द्वारा पारित दिनांकित 19.02.2015 और 23.12.2015 के विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं। अपनी दलील को साबित करने के लिए, वह प्रस्तुत करता है कि अग्रिम जमानत की शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता को आरोप पत्र प्रस्तुत करने और उसके खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के बाद ही अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता थी। आरोप पत्र प्रस्तुत किए बिना और अदालत से समन प्राप्त किए बिना, याचिकाकर्ता के लिए अदालत में उपस्थित होने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि उस अवधि के दौरानअनुसंधान चल रहा था और वह अनुसंधान में पुलिस का सहयोग कर रहा था। वे **"मुफ्त कानूनी सहायता समिति, जमशेदपुर बनाम बिहार राज्य (1982) 3 एस. सी. सी. 378"** में बताया गया है उस न्याय निर्णय का उल्लेख करते है और उस पर निर्भर करते है।

6. विद्वान *न्यायमित्र* भी प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त को केवल जांच या मुकदमे के दौरान और न्यायालय से समन प्राप्त करने के बाद ही न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। प्रासंगिक समय पर, मामला अभी भी अनुसंधान के चरण में था और कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता को कोई समन जारी नहीं किया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता को अदालत में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अनुसंधान के दौरान, मामला केवल नियमित तरीके से पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष तय किया जाता है और उस अवधि के दौरान, आरोपी को अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है।

7. राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त अभियोजन पदाधिकारी भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते है कि विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं, **मुफ्त कानूनी सहायता समिति, जमशेदपुर मामले (ऊपर) का दृष्टिकोण।**

8. मैंने दोनों पक्षों एवम् न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया।

9. मैंने पाया कि 19.02.2015 पर मामला पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक न्यायधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि अनुसंधान अभी चल रहा था और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के बयान के अनुसार, याचिकाकर्ता पहले से ही अनुसंधान में पुलिस का सहयोग कर रहा था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के आगे के बयान के अनुसार, बाद में 26.08.2016 पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और अपराध का संज्ञान विद्वान न्यायधीश न्यायालय द्वारा 03.11.2016 पर लिया गया था और उसके खिलाफ 10.04.2017 पर समन जारी करने का निर्देश दिया गया था।

10. इसलिए, मैंने पाया कि जब मामला पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तब याचिकाकर्ता के लिए 19.02.2015 पर विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होने का कोई अवसर नहीं था। अभियुक्त को अभियोग-पत्र प्रस्तुत करने और उसके खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के बाद ही न्यायधीश की न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है, न कि अनुसंधान के चरण के दौरान, जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निःशुल्क कानूनी सहायता समिति, जमशेदपुर न्याय निर्णय (उपरोक्त)** में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शब्दों में निर्णय दिया है:-

> **"2.** श्री सिब्बल द्वारा माँगा गया पहला अंतरिम निर्देश यह है कि जब कोई आरोपी जमानत पर रिहा होता है, तो उसे तब तक न्यायालय में पेश होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जब तक कि आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है और अदालत द्वारा प्रक्रिया जारी नहीं की जाती है। श्री सिब्बल का कहना है कि आज बिहार की कई मजिस्ट्रेट न्यायालय में जो होता है वह यह है कि आरोपी को हर 14 दिन में

अदालत में पेश होना पड़ता है, भले ही वह जमानत पर हो और इससे आरोपी को काफी परेशान किया जाता है। वह प्रस्तुत करते हैं और हमारी राय में सही है कि कानून द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं है, और श्री के. जी. भगत, बिहार राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता, निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि कानून के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जमानत पर आरोपी को आरोप पत्र दायर करने और अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया से पहले अदालत के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि जब भी कोई आरोपी जमानत पर रिहा होता है तो उसे तब तक अदालत में पेश होने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता और अदालत द्वारा प्रक्रिया जारी नहीं की जाती।"

(जोर दिया गया)

11. इसलिए, विद्वान मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित दिनांकित 19.02.2015 और 23.12.2015 के विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं और इसलिए, इसे रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता के बंध पत्र को बहाल किया जाता है।

12. अब याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत की शर्तों के अनुसार अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है, जो इस न्यायालय द्वारा दी गई है।

13. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकृत की जाती है।

14. विद्वान न्यायमित्र श्री अजय कुमार ठाकुर द्वारा प्रदान की गई सहायता की बहुत सराहना की जाती है। पटना उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति के सचिव को 10,000/- रुपये उन्हें मानदेय के रूप में का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश की प्रति सूचना और आवश्यक जानकारी के लिए सचिव पटना उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को भेजी जाए।

(जितेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति)

एस.अली, रमेश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।